उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 07 वर्ष 2013}

अनुक्रमणिका

धाराएं	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	अध्याय–एक	
	प्रारम्भिक	
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	2
2.	परिभाषाएं	2–3
	अध्याय–दो	
	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी तथा उसकी शक्तियाँ	
3.	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की घोषणा	3–4
4.	बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य	4
	अध्याय–तीन	
	बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के सर्वेक्षण एवं चित्रण	
5.	सर्वेक्षण	4
6.	सर्वेक्षण की शक्ति	4–5
7.	नुकसानी का संदाय	5
	अध्याय–चार	
	बाढ़ मैदानों की परिसीमाओं की अधिसूचना	
8.	बाढ़ मैदानों क्षेत्रों को चिन्हित करने के राज्य सरकार के आशय की घोषणा	5
9.	सार्वजनिक सूचनाएं	5–6
10.	आक्षेप	6
11.	राज्य सरकार का विनिश्चय	6–7
	अध्याय– पाँच	
	बाढ़ मैदान के उपयोग का प्रतिषेध एवं निर्बन्धन	
12.	बाढ़ मैदान में बाधा आदि के प्रतिषेध की शक्ति	7
13.	शास्ति	8

1	2	3
14.	अपराध शमन करने की शक्ति	8
15.	अपील	8
16.	पुनरीक्षण	9
	अध्याय– छः	
	प्रतिकर	
17.	प्रतिकर का संदाय	9
18.	सहमति से प्रतिकर और प्रभाजन का अवधारण	10
19.	प्रतिकर का ग्राह्य नहीं होना	10
20.	अधिनिर्णय (अवार्ड) के विरूद्ध आवेदन	10–11
21.	धारा 20 के अधीन आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने की प्रकिया और प्राधिकारियों की शक्तियाँ	11
22.	विनिश्चय का सिविल न्यायालय की डिकी के रूप पर प्रवर्तनीय होना	11
23.	अधिनिर्णय के अधीन संदाय	11
	अध्याय– सात	
	प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति	
24.	प्रतिषेद्ध के पश्चात् बाधाएं हटाने की शक्ति	11–12
	अध्याय– आठ	
	विविध	
25.	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को कोई कार्य करने से रोकना अपराध होगा	12
26.	बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना	12
27.	सद्भाव से कार्यवाही का संरक्षण	12–13
28.	जुर्माने को वसूली	13
29.	न्यायालय की शक्ति	13
30.	नियम बनाने की शक्ति	13
31.	निरसन और अपवाद	14

THE UTTARAKHAND FLOOD PLAIN ZONING ACT, 2012

[UTTARAKHAND ACT NO. 07 OF 2013]

INDEX

Section	Particular	Page No.
1	2	3
	CHAPTER-I	
	PRELIMINARY	
1.	Short title, extent and commencement	15
2.	Definitions	15–16
	CHAPTER-II	
	FLOOD ZONING AUTHORITY AND IT'S POWERS	
3.	Declaration of flood plain zoning	16
4.	Powers and functions of the Flood Zoning Authority	17
	CHAPTER - III	
	SURVEYS AND DELINEATION OF FLOOD PLAIN AREA	
5.	Survey	17
6.	Power to take up survey	17–18
7.	Payment of damages	18
	CHAPTER-IV	
	NOTIFICATION OF LIMITS OF FLOOD PLAINS	
8.	Declaration of intention of State Government to demarcate flood plains areas	18
9.	Public Notices	18
10.	Objections	19
11.	Decision of State Government	19–20
	CHAPTER-V	
	PROHIBITION OR RESTRICTION OF THE USE OF THE FLOOD PLAINS	
12.	Power to prohibit obstruction etc. in flood plain	20
13.	Penalty	21
14.	Power to Compound	21
15.	Appeal	21
16.	Revision	22

1	2	3
	CHAPTER-VI	
	COMPENSATION	
17.	Payment of compensation	22
18.	Determining the compensation and apportionment by consent	22–23
19.	Compensation not admissible	23
20.	Application against award	23–24
21.	Procedure and powers of authorities in deciding applications under section 20	24
22.	Decision enforceable as decree of civil court	24
23.	Payment under award	24
	CHAPTER-VII	
	POWER TO REMOVE OBSTRUCTIONS AFTER PROHIBITION	
24.	Power to remove obstructions	24–25
	CHAPTER-VIII	
	MISCELLANEOUS	
25.	Preventing Flood Zoning Authority from doing any act to be an offence	25
26.	Flood zoning Authority other officers to be public servants	25
27.	Protection of action taken in good faith	25
28.	Recovery of fine	25
29.	Power of Court	26
30.	Power to make rules	26
31.	Repeal and Saving	26

क्रम संख्या–10

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन०–30 / 2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, सोमवार, 28 जनवरी, 2013 ई0
माघ 08, 1934 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 31 / XXXVI(3) / 2013 / 68(1) / 2012
देहरादून, 28 जनवरी, 2013

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण विधेयक, 2012'** पर दिनांक 24 जनवरी, 2013 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 07 वर्ष, 2013 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012

{उत्तराखण्ड अधिनियम सं0 07 वर्ष 2013}

उत्तराखण्ड राज्य में नदियों के बाढ़ मैदान, परिक्षेत्रण की व्यवस्था के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो :–

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

(3) यह धारा तुरन्त प्रवृत्त होगी और इस अधिनियम के शेष उपबन्ध उस तारीख से प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु यह कि विभिन्न नदियों और विभिन्न क्षेत्रों के लिए इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों हेतु भिन्न–भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "**बाढ़ मैदान**" में जल सरणी, बाढ़ सरणी और लगभग जब तक कि प्रसंग या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में नीची भूमि का वह क्षेत्र सम्मिलित है, जो जलप्लावन के कारण आने वाली बाढ़ के लिए सुग्राही हों;

(ख) '**बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण**' से किस नदी के बाढ़ मैदानों में जहाँ नदियों और जलधाराओं से जल के अधिप्लावन के कारण मैदान बन जाते हैं, मानव गतिविधियों पर प्रतिबन्ध अभिप्रेत है;

(ग) '**बाढ़ क्षेत्र**' से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिससे अधिकतम सम्भावित बाढ़ प्रवाह बहा ले जाना अपेक्षित है;

(घ) '**बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी**' से नदी के सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) **'भूमि'** में भूमि के हित, भूमि से उत्पन्न फायदे या भूमि से संलग्न या भूमि से संलग्न किसी भी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी चीजों का समावेश है;

(च) **'अधिभोगी'** किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका किसी भूमि में हित है और वह उस भूमि पर स्वयं खेती करता है, अपने सेवक या भाड़े के मजदूर से खेती करवाता है। इसमें काश्तकार भी शामिल है;

(छ) **'स्वामी'** से किसी भूमि के सम्बन्ध में ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका ऐसी भूमि में हित है;

(ज) **'विहित'** से राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(झ) **'नदी'** में उसकी सहायक नदियों का समावेश है;

(ञ) **'जल सरणी'** से ऐसी सरणी अभिप्रेत है, जिसमें साधारणतः नदी का प्रवाह परिरूद्ध रहता है।

अध्याय–दो

बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी तथा उसकी शक्तियाँ

बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की घोषणा

3. (1) जहाँ राज्य सरकार ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो वह सरकारी राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि ऐसी रीति से जो इस अधिनियम में आगे विनिर्दिष्ट की गई है, बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि जिन सीमाओं के निर्धारण हेतु नदी का सर्वेक्षण किया जाय, उनके अन्तर्गत इस अधिनियम के उपबन्ध चार्ट और पंजियां (रजिस्टर) तैयार किये जायं, जिनमें समस्त सीमाएं, भूमि–चिन्ह और ऐसी सीमाएं अभिनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु आवश्यक कोई अन्य विषय विनिर्दिष्ट किया जाय।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा जिले में जिलाधिकारी या सरकार के ऐसे अन्य प्राधिकारी को उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के प्रयोजनों के लिए बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी नियुक्त कर सकती है, जिसे वह आवश्यक समझे, और ऐसी अधिसूचना में वह

4

उक्त प्राधिकारी द्वारा निर्वहन किये जाने वाले कर्त्तव्य विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी की शक्तियाँ और कृत्य

4. बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार शक्तियों का प्रयोग और कर्त्तव्यों का निर्वहन धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शर्तों और निबन्धनों के अनुसार करेगा।

अध्याय–तीन

बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण के सर्वेक्षण एवं चित्रण

सर्वेक्षण

5. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, नदियों के बाढ़ मैदानों का सर्वेक्षण करेगा और नदियों के बाढ़ मैदानों के स्वरूप और सीमा का अवधारण करेगा।

(2) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधीन किये गये सर्वेक्षण के आधार पर बाढ़ मैदान परिक्षेत्रों की स्थापना करेगा और उन क्षेत्रों का आंकलन करेगा, जिसमें जनसाधारण के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्पत्ति की अभिरक्षा के आशय से बाढ़ मैदान के उपयोग के आपेक्षिक जोखिम के सन्दर्भ में भूमि के वर्गीकरण का भी समावेश होगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन वर्णित क्षेत्र दर्शाते हुए चार्ट और पंजिकाएं तैयार करेगा।

सर्वेक्षण की शक्ति

6. बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा अन्य इस निमित्त सामान्य या विशेष रूप से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिये यह विधि पूर्ण होगा कि वह–

(क) अपनी अधिकारिता के अन्तर्गत किसी भी भूमि पर प्रवेश करे और उसका सर्वेक्षण कर और उसका स्तर नापे;

(ख) ऐसे स्तरों, सीमाओं और सीमा रेखाओं को चिन्ह अथवा सीमा पत्थर लगाकर चिन्हित करना;

(ग) भूमि नापना;

(घ) धारा 3 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सीमाएं अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिये समस्त अन्य आवश्यक कार्य करना;

(ङ) जहाँ सर्वेक्षण और स्तर नापना अन्यथा पूर्ण नहीं किया जा सकता और किसी खड़ी फसल, बाड़ या जंगल को काटना या उसके किसी भाग को साफ करना विधि सम्मत होगा :

परन्तु यह कि भूमि के ऐसे अधिभोगी को कम से कम इस आशय का सात दिन का नोटिस दिए बगैर (अधिभोगी की इसके लिए सहमति के बिना) कोई बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकारी या किसी निवास गृह से संलग्न, किसी भवन, किसी बगीचे या खुले या बन्द प्रांगण में प्रवेश नहीं करेगा।

नुकसानी का संदाय 7. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी अथवा इस निमित्त सामान्य अथवा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, जिसने धारा 5 के अधीन किसी भूमि पर प्रवेश किया है, उसे छोड़ने के पूर्व ऐसे किसी भी नुकसान के लिये जो कि भारित हुआ हो, ऐसी भूमि के स्वामी अथवा अधिभोगी को प्रतिकर देगा और इस प्रकार दी गयी राशि की पर्याप्तता के बारे में कोई विवाद होने की स्थिति में बाढ़ परिक्षेत्र प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मामला विनिश्चय हेतु राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसे अपास्त या उपान्तरित कराने के लिये किसी सिविल न्यायालय में कोई भी वाद नहीं लाया जा सकेगा।

अध्याय–चार

बाढ़ मैदानों की परिसीमाओं की अधिसूचना

बाढ़ मैदानों क्षेत्रों को चिन्हित करने के राज्य सरकार के आशय की घोषणा 8. राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित करने और उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी।

सार्वजनिक सूचनाएं 9. (1) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, धारा 8 के अधीन अधिसूचना जारी करने पर क्षेत्र के सुविधाजनक स्थानों पर ऐसी अधिसूचना का सारांश सार्वजनिक रूप से सूचित करेगा।

(2) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, क्षेत्र में स्थित भूमियों के स्वामियों को सूचनायें व्यष्टितः भी देगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, अभिलेख, चार्ट, नक्शे, पंजिकायें, और अन्य

दस्तावेज, नदी सरणी/बाढ सरणी और बाढ़ मैदान दर्शाते हुए क्षेत्र का स्वरूप और जिस सीमा तक उसका उपयोग प्रतिषिद्ध अथवा प्रतिबन्धित है, विनिर्दिष्ट करते हुए विनिर्दिष्ट समयों पर आम जनता की जानकारी हेतु कार्यालय में प्रदर्शित करेगा।

आक्षेप

10. (1) कोई व्यक्ति, जो धारा 9 में निर्दिष्ट सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट परिसीमाओं के प्रतिबन्धों या निर्बन्धनों के प्रति आक्षेप करना चाहता हो, राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिन की कालावधि के भीतर अपने आक्षेप उपवर्णित करते हुए एक लिखित विवरण बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा।

(2) उपरोक्त कालावधि की समाप्ति के पश्चात् बाढ़ परिक्षेत्रण अधिकारी विहित रीति से नोटिस जारी करेगा और सम्बन्धित पक्ष को मामले की सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर देने के पश्चात् आक्षेपों पर विचार करेगा।

(3) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ उसके और अपने प्रस्ताव राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

राज्य सरकार का विनिश्चय

11. (1) राज्य सरकार, बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् क्षेत्र की परिसीमाओं में ऐसे परिवर्तन करने का आदेश देगी, जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित करेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध विनिर्दिष्ट सीमाओं परिसीमाओं सहित उक्त नदी पर लागू होंगे :

परन्तु यह कि नदी के भराव क्षेत्र में पूर्व से अवस्थित मानवीय बस्तियों को पुनर्वासित किए जाने की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा अंकित और अनुमोदित क्षेत्र बाढ़ मैदान समझे जायेंगे और सीमाएं, जहाँ आवश्यक हो, सीमा के पत्थरों या अन्य उपयुक्त चिन्हों द्वारा चिन्हित की जायेंगी।

(5) बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, इस प्रकार वर्णित ऐसे क्षेत्रों के मानचित्र और

पंजिकाएं रखेगा और ऐसे मानचित्र तथा पंजिकाएं कार्यालय के स्थायी अभिलेखों का भाग समझी जायेगी।

(6) उपधारा (5) के अधीन रखे गये मानचित्र और पंजिकाएं उस जिले के जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी, जिसमें नदी का कोई भाग स्थित है और ऐसे समय पर आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे, जैसा विहित किया जाये।

अध्याय– पाँच

बाढ़ मैदान के उपयोग का प्रतिषेध एवं निर्बन्धन

बाढ़ मैदान में बाधा आदि के प्रतिषेध की शक्ति

12. (1) जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा या सम्पत्ति के हित में या आम जनता की असुविधा को कम करने के हित में बाढ़ मैदानों में गतिविधियाँ प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करना आवश्यक है, वहाँ सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा वह क्षेत्र, जिसमें प्रतिषेद्ध या निर्बन्धन प्रवृत्त किया जाना है और ऐसे प्रतिषेध या निर्बन्धन का स्वरूप और सीमा विनिर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु यह कि इस उपधारा के अधीन कोई भी अधिसूचना, धारा 8 के अधीन जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छः मास की समाप्ति के पश्चात् जारी नहीं की जायेगी।

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि, रूढ़ि, करार अथवा लिखत में किसी बात के होते हुए भी उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रतिषेद्ध अथवा निर्बन्धन अभिभावी रहेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की पूर्वानुमति के बिना निर्बन्धित अथवा प्रतिषिद्ध क्षेत्र में कोई गतिविधि आरम्भ नहीं करेगा :

परन्तु यह कि जब कोई व्यक्ति बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी को इस धारा के अधीन कोई गतिविधि आरम्भ करने के लिए अनुज्ञा के लिए आवेदन करता है और बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी ऐसा आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की कालावधि के भीतर उक्त व्यक्ति को संसूचित नहीं करता है कि आवेदित अनुज्ञा अस्वीकृत कर दी गई है, वहाँ यह उपधारित किया जायेगा कि बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी ने उक्त अनुज्ञा दे दी है।